

न्यायालय:-पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 710 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 05 / 08 / 2014)

01. कटोरी बाई उर्फ सन्यासी सियाराम दासी गुरु लक्ष्मणदास उम्र 93 वर्ष,
निवासी :- वार्ड क्रमांक 14 मालनपुर, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
..... परिवादी।

/// विरुद्ध ///

01. अरविन्द सिंह पुत्र बादशाह उम्र 43 वर्ष,
02. श्रीमती नीरज पत्नी अरविन्द सिंह उम्र 41 वर्ष,
निवासीगण :- वार्ड क्रमांक 14 मालनपुर, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
..... अभियुक्तगण।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 22 / 06 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण अरविन्द एवं श्रीमती नीरज पर भा.द.सं. की धारा 294 एवं 323/34 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 21/05/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे मालनपुर में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी कटोरीबाई को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया तथा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी/परिवादी कटोरीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त नीरज ने लोटे से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. परिवाद के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक :- 21/05/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे परिवादी कटोरीबाई का घर स्थित मालनपुर में, आरोपीगण अरविन्द एवं श्रीमती नीरज द्वारा परिवादी कटोरीबाई को माँ-बहन की गालियाँ देने, उसकी मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट थाना गोहद पर की जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना लेखबद्ध की गई। तत्पश्चात् इस वावत् लिखित परिवाद फरियादी कटोरीबाई द्वारा दिनांक 10/06/2014 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा परिवादी एवं उसके साक्षियों के धारा 200 द.प्र.सं. के कथन अंकित किये गये। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा आरोपीगण अरविन्द एवं नीरज के विरुद्ध दिनांक : 05/08/2014 को धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्तगण अरविन्द एवं नीरज के विरुद्ध धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के अन्तर्गत दंडनीय आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण अभिवाक् अंकित किया गया।

05. परिवादी की साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने परिवादी साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपीगण अरविन्द एवं नीरज ने दिनांक :- 21/05/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे मालनपुर में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी कटोरीबाई को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी/परिवादी कटोरीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त नीरज ने लोटे से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में परिवादी कटोरीबाई परि.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण अरविन्द एवं नीरज को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 10/04/2017 से पिछले वर्ष बैसाख माह की सुबह सात बजे की उसके मकान स्थित वार्ड क्रमांक 14 मालनपुर की है। साक्षी आगे कहती है कि घटना को उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 10/04/2017 से दो वर्ष हो चुके हैं। आरोपी अरविन्द एवं उसकी पत्नी नीरज उसके मकान को फोड़ रहे थे, तब उसने मकान को फोड़ने से रोका तो आरोपी नीरज ने उसके लौटा मारा, जो उसके सिर में लगा, जिससे उसके खून निकला एवं आरोपी अरविन्द ने उसके एक चाटा मारा। साक्षी आगे कहती है कि घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना मालनपुर में की गई थी, जहाँ पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं

लिखी थी, फिर उसके द्वारा आवेदन की लिखा-पढ़ी कर कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया गया। साक्षी आगे कहती है कि आरोपीगण ने उसे मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दी थी। उसके बाद उसके द्वारा थाना गोहद में रिपोर्ट की गई, उक्त रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जो उसके द्वारा परिवाद के साथ संलग्न कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। घटना के समय बीच-बचाव गंगाराम एवं उसका भाई मुन्ना आ गये थे, जिस पर आरोपीगण लाठी लेकर दौड़े थे।

09. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में फरियादी कटोरीबाई परि.सा.01 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 10/04/2017 से लगभग दो वर्ष पहले की बैसाख माह की है। जबकि उसके परिवाद के अनुसार दिनांक : 21/05/2014 अर्थात् उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अंकित किये जाने के दिनांक से लगभग तीन वर्ष पहले की है। इस प्रकार घटना परिवादी के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक से दो वर्ष पहले की है अथवा तीन वर्ष पहले की, इस वावत् उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों एवं परिवाद के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में फरियादी कटोरीबाई परि.सा.01 का कहना है कि घटना के समय आरोपी अरविन्द एवं नीरज उसके मकान को तोड़ रहे थे, तब उसने मकान फोड़ने से रोका तो आरोपी नीरज ने लोटा उसके सिर में मारकर एवं आरोपी अरविन्द ने उसे चाटा मारकर उपहति कारित की, जबकि उसके परिवाद एवं उसके कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने के पूर्व आरोपीगण द्वारा परिवादी का मकान फोड़ने एवं परिवादी द्वारा ऐसा करने से उन्हें रोकने संबंधी किसी भी तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि परिवाद एवं कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में परिवादी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि आरोपीगण ने परिवादी के आवास एवं मंदिर पर कब्जा कर लिया है और घटना वाले दिन आरोपीगण ने परिवादी से कहा कि परिवादी मंदिर एवं आवास आरोपीगण के नाम कर दें, परिवादी द्वारा मना किये जाने पर आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट की गई। इस प्रकार आरोपित घटना आरोपीगण द्वारा परिवादी का मकान फोड़ने और उसके द्वारा रोके जाने से प्रारम्भ हुई अथवा आरोपीगण द्वारा परिवादी से उसका मंदिर एवं आवास स्वयं के नाम कराये जाने की कहने से प्रारम्भ हुई। इस वावत् परिवादी के परिवाद के तथ्यों, उसके कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. के तथ्यों एवं उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि परिवादित घटना को संदेहास्पद बनाता है।

10. परिवादी द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि घटना के दौरान आरोपी अरविन्द ने उसे चाटा मारा। जबकि उसके द्वारा थाना गोहद में लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 में आरोपी अरविन्द द्वारा परिवादी के बाल पकड़कर झकझोर डालने का उल्लेख है, ना कि चाटा मारने का। इस प्रकार इस वावत् परिवादी की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। कई अवसर दिये जाने के बाद भी परिवादी द्वारा स्वयं के

अलावा कोई अन्य मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

11. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि परिवादी संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण अरविन्द एवं श्रीमती नीरज ने दिनांक :- 21/05/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे मालनपुर में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी कटोरीबाई को मौ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया तथा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी/परिवादी कटोरीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त नीरज ने लोटे से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि परिवादी आरोपीगण अरविन्द एवं श्रीमती नीरज के विरुद्ध धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद